प्रपत्र–1

निकाय का नाम..............................

क्रमांक..............

पथ-विक्रेता की रंगीन पासपोर्ट साइज की अद्यतन फोटो

पथ-विक्रेता के लिये सर्वेक्षण प्रपत्र
(नियम–12 देखें)

1. नाम..............................
2. लिंग..............................
3. पिता/माता/पति/पत्नी का नाम..............................
4. पता – (एक) स्थानीय ....
(दो) स्थायी ....
5. आयु..............................
6. पहचान–पत्र (यदि उपलब्ध हो).–(एक) पहचान पत्र संख्या..............................
(दो) निर्गमन प्राधिकारी का पदनाम..............................
7. दूरभाष संख्या (यदि उपलब्ध हो)..............................
8. धर्म..............................
9. अर्हताएं..............................
10. बैंक खाता संख्या (यदि कोई हो)..............................बैंक का नाम..............................
11. परिवार के सदस्यों का विवरण

क्रमांक	नाम	आयु	पथ-विक्रेता से सम्बन्ध

12. पथ विक्रय का विवरण–

क्रमांक	कारबार का नाम	कारबार का स्थान	कारबार में अनुभव	कारबार में प्रवेश की तिथि	कारबार में विनिधानित धनराशि	मासिक आय	कारबार की अवधि	अन्य

13. पथ विक्रय की श्रेणी (चल/स्थिर)/साप्ताहिक बाजार..............................

(क) स्थिर पथ विक्रय:–

(एक) यदि स्थिर पथ विक्रय करते हैं तो दुकान लगाने का स्थान , मुहल्ला एवं वार्ड..............................

(दो) चौहद्दी..............................

(तीन) भूमि का क्षेत्रफल जिस पर पथ विक्रय किया जाता है..............................

(चार) विक्रय की जा रही वस्तु/सेवा का नाम..............................

(ख) चल पथ विक्रय:–

(एक) यदि चल पथ विक्रय है तो कहां से कहां तक पथ विक्रय करते हैं..............................

(दो) चल पथ विक्रय किस प्रकार करते हैं (ठेले पर/साइकिल पर/सिर पर सामान रखकर/अन्य.)......

(तीन) विक्रय की जा रही वस्तु/सेवा का नाम..............................

(ग) साप्ताहिक बाजारों हेतु पथ विक्रेता:–

(एक) दिवसवार साप्ताहिक बाजारों का विवरण..............................

(दो) प्रत्येक साप्ताहिक बाजारों के स्थान, मुहल्ला और वार्ड का नाम..............................

(तीन) प्रत्येक साप्ताहिक पथ विक्रय बाजार की सीमा..............................

(चार) पथ विक्रय उत्पादों/सेवाओं का नाम..............................

14. (एक) क्या राशन कार्ड उपलब्ध है ?
(दो) यदि हां ,तो वह गरीबी रेखा के नीचे का है अथवा नहीं ? हां...... नहीं......
(तीन) राशन कार्ड संख्या तथा जारी करने वाले कार्यालय का नाम.........
15. श्रेणी क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/शारीरिक रूप से विकलांग से संबंधित है? ....
16. अन्य विवरण ....

सर्वेक्षणकर्ता का नाम......... सर्वेक्षण की तिथि......... पथ-विक्रेता के हस्ताक्षर.........

प्रपत्र–2

निकाय का नाम.........

क्रमांक.........

पथ-विक्रेता की रंगीन पासपोर्ट साइज की अद्यतन फोटो

पथ-विक्रेताओं के पंजीकरण हेतु आवेदन–पत्र/वचनबद्धता

(नियम–12देखें)

1. नाम.........
2. लिंग.........
3. पिता/माता/पति/पत्नी का नाम.........
4. पता – (क) स्थानीय ....
(ख) स्थायी ....
5. आयु.........
6. परिचय–पत्र (यदि उपलब्ध हो).–(क) परिचय पत्र संख्या.........
(ख) परिचय पत्र का प्रकार.........
7. दूरभाष संख्या (यदि उपलब्ध हो).........
8. अर्हता.........
9. परिवार के सदस्यों का विवरण:–

क्रमांक	नाम	आयु	पथ विक्रेता से सम्बन्ध
	......		

10.पथ विक्रय का विवरण–

क्रमांक	कारबार का नाम	कारबार का स्थान	कारबार का अनुभव	कारबार में प्रवेश करने की तिथि	कारबार में निधानित धनराशि	मासिक आय	कारबार की अवधि	अन्य

11. पथ विक्रय की श्रेणी (चल/स्थिर/साप्ताहिक बाजार का पथ विक्रेता)–
(एक) यदि स्थिर है तो स्थान, मुहल्ला एवं वार्ड, भूमि का क्षेत्रफल और वस्तुओं के नाम.........
(दो) यदि चल है तो मुहल्ला/वार्ड, वस्तुओं का नाम और प्रकार.........
12. पथ विक्रय की अवधि–.........
13. राशन कार्ड की संख्या और जारी करने वाले कार्यालय का नाम–
14. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/शारीरिक रूप से विकलांग, महिला हैं तो प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें ....
15. पंजीकरण शुल्क ....

वचनबद्धता (अण्डरटेकिंग)

मैं.........पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....घोषणा करता/करती हूँ कि –

(एक) मैं पथ विक्रय का कारबार स्वयं अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से करूँगा/करूँगी।

(दो) मेरे पास आजीविका का अन्य साधन नहीं है।

(तीन) मैं पथ विक्रय प्रमाण-पत्र अथवा उसमें विनिर्दिष्ट स्थान को किसी अन्य व्यक्ति को, किसी भी प्रकार से, जिसमें किराया भी सम्मिलित है, हस्तान्तरित नही करूँगा/करूँगी।

दिनांक

नगर पथ विक्रय समिति की बैठक

7–(1) कारबार के सम्व्यवहार के लिए नगर पथ विक्रय समिति की बैठक, प्रत्येक वर्ष कम से कम तीन माह में उस स्थान और उस समय, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाय, नगर पालिका की अधिकारिता के अन्तर्गत की जायेगी।

(2) स्थगित की गई बैठक के अलावा प्रत्येक बैठक में समव्यहृत किये जाने वाले कारबार की सूची, नगर पथ विक्रय समिति के प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए नियत किये गये समय से कम से कम अड़तालिस घण्टे पूर्व भेज दी जायेगी:

परन्तु यदि कारबार की सूची डाक द्वारा भेजी जाय तो इसे इस प्रकार भेजी जाय कि उसे सदस्यों को निर्धारित समय के भीतर तामील की जा सके।

(3) नगर पथ विक्रय समिति का अध्यक्ष, जब उचित समझे, समिति की बैठक आहूत कर सकता है और समिति के कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई से अन्यून सदस्यों द्वारा लिखित रूप में अधियाचन किये जाने पर समिति की बैठक आहूत करेगा।

(4) नगर पथ विक्रय समिति किसी व्यक्ति या व्यक्तियों, जिन्हें नगर पथ विक्रय समिति के परिधि की विषय-वस्तु के संबंध में विशिष्ट ज्ञान या अनुभव हो, को सहयुक्त कर सकती है और उसे या उन्हें वह भत्ता जो समिति द्वारा अवधारित किया जाय, संदत्त कर सकती है।

(5) नगर पथ विक्रय समिति के सदस्यों के रूप में निर्वाचित पथ विक्रेताओं और पदाधिकारियों के अतिरिक्त नियम–4 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) और (ग) के उपबंधों के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों को नगर पथ विक्रय समिति ऐसा भत्ता दे सकती है जैसा कि उसके द्वारा अवधारित किया जाय।

गणपूर्ति

8 समिति की किसी बैठक में तब तक कोई कारबार संव्यवहृत नहीं किया जायेगा जब तक कि सम्पूर्ण बैठक तक समिति के कुल सदस्यों के कम से कम एक तिहाई सदस्य उपस्थित न रहें।

नगर पथ विक्रय समिति की बैठक में विनिश्चय

9–(1) समिति द्वारा विचारार्थ और विनिश्चय किये जाने हेतु, अपेक्षित समस्त विषय, बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा अवधारित किये जायेंगे।

(2) मामले की अत्यावश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए समिति, कार्य सूची के परिचालन द्वारा विनिश्चय कर सकती है।

(3) समिति की अगली बैठक में पिछली बैठक की कार्यवाहियों की पुष्टि की जायेगी।

(4) नगर पथ विक्रय समिति के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए यथास्थिति नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी किसी ऐसे एक अधिकारी को पदाभिहित करेगा, जो समिति के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

नगर पथ विक्रय समिति के लिये कार्यालय, स्थल, कर्मचारी वर्ग, और सचिव का उपबंध किया जाना

10–नगर पालिका, नगर पथ विक्रय समिति को पर्याप्त उपस्कर सहित समुचित कार्यालय, स्थल, पर्याप्त संख्या में कर्मचारी और समिति के सचिव के रूप में कार्य करने के लिए एक अधिकारी का उपबंध करेगी।

उपसमितियाँ

11–(1) नगर पथ विक्रेता समिति अपने किन्हीं कृत्यों के निर्वहन के लिए एक या अधिक उपसमितियों का गठन कर सकेगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन गठित किसी उपसमिति के पास ऐसे अधिकार होंगे और वह ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगी जैसा कि नगर पथ विक्रेता समिति, समय-समय पर प्रतिनिधानित करे या प्रदान करे।

पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण

12–(1) नगर विक्रय समिति, अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार नगर पालिका की अपनी अधिकारिता के अधीन आने वाले क्षेत्र के अन्तर्गत सभी विद्यमान पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण संचालित करेगी।

(2) सर्वेक्षण, प्रपत्र–1 में परिक्षेत्र, वार्ड और बाजार के अनुसार किया जायेगा और सभी आँकड़े डिजिटल रूप में संग्रहीत किये जायेंगे।